2 आदेश

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

मि0न0 —05/2019

1. पवन कुमार पुत्र सतपाल जाति जाट निवासी मलखेडा तहसील भादरा।
2. बलवानसिंह पुत्र सतपाल जाति जाट निवासी मलखेडा तहसील भादरा।

— वादीगण

ब ना म

1. गुगनराम पुत्र मदाराम जाति जाट निवासी मलखेडा तहसील भादरा।
2. सतपाल पुत्र गुगनराम जाति जाट निवासी मलखेडा तहसील भादरा।
3. जयवीर पुत्र गुगनराम जाति जाट निवासी मलखेडा तहसील भादरा।
4. संतोष पुत्री गुगनराम जाति जाट निवासी मलखेडा तहसील भादरा।
5. ओमकला पुत्री गुगनराम जाति जाट निवासी मलखेडा तहसील भादरा।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

:— **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :—श्री मुंशीराम गोस्वामी वकील **वादीगण**
श्री विक्रम शर्मा वकील **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांकः 26/02/2020.

वादीगण के दावा के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार है कि चक 15 एएमएस के खाता सं0 21/19 के मु0 नं0 49 किला नं0 22 व 23, मु0 न0 56 के किला न0 2, 3 व 8/1, 9 ता 12 कुल 2.226है0 नहरी मय रास्ता इसी प्रकार चक 4 एसडीआर के खाता सं0 12/15 के मु0 न0 39 के किला न0 14, 17, 23, 24, मु0 न0 44 के किला न0 10, मु0 न0 57 के किला न0 4, 5, 7, 8, 12 ता 14, 18, 19, 22 कुल 3.795है0 नहरी मय रास्ता की खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी गुगनराम के नाम दर्ज है। प्रमाणित प्रति जमाबंदी हाल संलग्न वाद है।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हिन्दु उतराधिकर अधिनियम एवं हिन्दु मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वादभूमि पहले वादीगण के परदादा मदाराम की खातेदारी हुआ करती थी। मदाराम के देहान्त होने पर वादभूमि जो प्रतिवादी गुगनराम के नाम से दर्ज है वह प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 को बहिस्सा बराबर के अनुसार विरासतन में मिली थी जिसमें प्रतिवादी सतपाल को मिलने वाला हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सतपाल को बहिस्सा बराबर के अनुसार मिला। परन्तु प्रतिवादी गुगनराम कर्ता खानदान होने के चलते विरासतन इन्तकाल तन्हा प्रतिवादी गुगनराम अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वादभूमि वादीगण एवं प्रतिवादी की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी गुगनराम के नाम दर्ज होने से वादीगण के अधिकारों पर प्रतिकुल प्रभावं पड़ता है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन

में उपस्थित होकर राजनीमा पेश किया। राजीनामा पेश होने पर तनकीयात की आवश्यकता नही पाई जाने के कारण साक्ष्यवादी में वादी पवन कुमार पुत्र सतपाल जाति जाट निवासी मलखेडा तहसील भादरा के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्य की ताहिद में वादी ने जमाबंदी चक 15 एएमएस व चक 4 एसडीआर संवत 2075–78 प्रदर्श 1 व 2, जमाबंदी चक 15 एएमएस संवत 2016 प्रदर्श 3, जमाबंदी चक 4 एसडीआर प्रदर्श 4 व 5, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत मलखेडा प्रदर्श 6 प्रदर्शित करवाये गये।

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील उभय पक्षकारान ने अपने वाद के तथ्यों को दोहराया एवं मुताबिक अनुतोष वाद वादीगण डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में चक 15 एएमएस के खाता सं0 21/19 के मु0 नं0 49 किला नं0 22 व 23, मु0 न0 56 के किला न0 2, 3 व 8/1, 9 ता 12 कुल 2.226है0 नहरी मय रास्ता इसी प्रकार चक 4 एसडीआर के खाता सं0 12/15 के मु0 न0 39 के किला न0 14, 17, 23, 24, मु0 न0 44 के किला न0 10, मु0 न0 57 के किला न0 4, 5, 7, 8, 12 ता 14, 18, 19, 22 कुल 3.795है0 नहरी मय रास्ता की खातेदारी मे प्रतिवादी भादरसिंह के नाम से जो 1/4 हिसा खातेदारी दर्ज है, उसमें प्रतिवादी सं0 4 व 5 ने अपना हक हिस्सा त्याग किया है। इसलिये वादीगण अपने हकों की घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया एवं प्रतिवादी ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुये अपना राजीनामा पेश किया है।

अतः वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री कर घोषणा की जाती है कि चक 15 एएमएस के खाता सं0 21/19 के मु0 नं0 49 किला नं0 22 व 23, मु0 न0 56 के किला न0 2, 3 व 8/1, 9 ता 12 कुल 2.226है0 नहरी मय रास्ता इसी प्रकार चक 4 एसडीआर के खाता सं0 12/15 के मु0 न0 39 के किला न0 14, 17, 23, 24, मु0 न0 44 के किला न0 10, मु0 न0 57 के किला न0 4, 5, 7, 8, 12 ता 14, 18, 19, 22 कुल 3.795है0 नहरी मय रास्ता की खातेदारी मे वादीगण व प्रतिवादी सतपाल 1/3 हिस्सा बहिस्सा बराबर व प्रतिवादी सं0 1 व 2 संयुक्त रूप से 2/3 हिस्सा के अनुसार खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी सं0 4 व 5 ने वादभूमि मे अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के पक्ष मे त्याग किया है , इसलिये हक त्याग किये गये हिस्सा पर पंजीयन विभाग द्वारा नियमानुसार देय स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क देय करने पर एवं वादभूमि रहनमुक्त होने उक्त वादभूमि वादीगण व प्रतिवादी सतपाल के नाम 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी गुगनराम, जयवीर के नाम 2/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री तैयार कर संलग्न की जावे।

निर्णय आज दिनांक 26/02/20 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मुकेश बारैठ)
उपखण्डाधिकारी (R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

मि0न0 —05/2019

1. पवन कुमार पुत्र सतपाल जाति जाट निवासी मलखेडा तहसील भादरा।
2. बलवानसिंह पुत्र सतपाल जाति जाट निवासी मलखेडा तहसील भादरा।

:— वादीगण

ब ना म

1. गुगनराम पुत्र मदाराम जाति जाट निवासी मलखेडा तहसील भादरा।
2. सतपाल पुत्र गुगनराम जाति जाट निवासी मलखेडा तहसील भादरा।
3. जयवीर पुत्र गुगनराम जाति जाट निवासी मलखेडा तहसील भादरा।
4. संतोष पुत्री गुगनराम जाति जाट निवासी मलखेडा तहसील भादरा।
5. ओमकला पुत्री गुगनराम जाति जाट निवासी मलखेडा तहसील भादरा।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा। :— प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ श्री मुकेश बारैठ उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री मुशीराम गोस्वामी एवं वकील प्रतिवादीगण विक्रम शर्मा की उपस्थिति मे निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री कर घोषणा की जाती है कि चक 15 एएमएस के खाता सं0 21/19 के मु0 नं0 49 किला नं0 22 व 23, मु0 न0 56 के किला न0 2, 3 व 8/1, 9 ता 12 कुल 2.226है0 नहरी मय रास्ता . इसी प्रकार चक 4 एसडीआर के खाता सं0 12/15 के मु0 न0 39 के किला न0 14, 17, 23, 24, मु0 न0 44 के किला न0 10, मु0 न0 57 के किला न0 4, 5, 7, 8, 12 ता 14, 18, 19, 22 कुल 3.795है0 नहरी मय रास्ता की खातेदारी मे वादीगण व प्रतिवादी सतपाल 1/3 हिस्सा बहिस्सा बराबर व प्रतिवादी सं0 1 व 2 संयुक्त रूप से 2/3 हिस्सा के अनुसार खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी सं0 4 व 5 ने वादभूमि मे अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के पक्ष मे त्याग किया है , इसलिये हक त्याग किये गये हिस्सा पर पंजीयन विभाग द्वारा नियमानुसार देय स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क देय करने पर एवं वादभूमि रहनमुक्त होने उक्त वादभूमि वादीगण व प्रतिवादी सतपाल के नाम 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी गुगनराम, जयवीर के नाम 2/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 26/02/2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(मुकेश बारैठ)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
R.A.S
भादरा (जिला हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Bareth
Date: 2020.03.16 11:11:48 IST
Reason: SelfAttested
Location: